

दर्द में डूबी सुनेत्रा पवार दुख बांटने पहुंचीं सतारा

पुणे/मुंबई (एजेंसी)। राजनीति में खुद (स्व) से बड़ा संगठन होता है, शायद यही वजह है कि अजित पवार की मौत के चौथे दिन डिटी सीएम की शपथ ग्रहण करने के बाद सुनेत्रा पवार सबसे पहले सतारा पहुंचीं।

उन्होंने यहां पर महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें नमन किया। इसके बाद सीधे अजित पवार को पीएसओ (पर्सनल सिन्क्योरिटी ऑफीसर) विदिप जाधव के घर पहुंचीं। खुद दुख में और दर्द में डूबीं सुनेत्रा पवार ने जाधव की पत्नी का हाथ थामकर सोचना दी, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अजित पवार के प्लेन क्रैश पर राजनीति गरमाती जा रही है। एनसीपी नेता अमोल मिटकरी के सवालों के बाद संजय राजत ने सवाल उठाए थे, अब कांग्रेस



नेता विजय वडेटीवार ने कहा है कि 80 फीसदी लोगों का मानना है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। वडेटीवार ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में गंदगी फैल चुकी है। सुनेत्रा

● वडेटीवार बोले-80 फीसदी लोग मान रहे कुछ गड़बड़ है

जाधव 2009 में भर्ती हु थे। सुनेत्रा उनके तरङ्गांव (तहसील फलटन) स्थित घर पर पहुंचीं। सुनेत्रा पवार ने विदीप जाधव की पत्नी और बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि मैं किसी भी मुश्किल में आपके साथ हूं।

यह मंजर देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सुनेत्रा ने परिवार के सदस्यों के कामकाज और नौकरी के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता विजय वडेटीवार ने कहा है कि सीआईडी जांच से कुछ हल नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 80 फीसदी लोगों का मानना है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। पूछा कि आखिरी समय पर पायलट क्यों बदला गया।

अशोकनगर, आगर-मालवा, टीकमगढ़ में बारिश

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आंधी, ओले और बारिश वाला मौसम है। सोमवार सुबह अशोकनगर, आगर-मालवा, टीकमगढ़ में बारिश हुई। वहीं, कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। हालांकि, ठंड का असर कम है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर ही चल रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार को 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें ग्वालियर, नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, श्यापुर, मुरैना, भिंड, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मेहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली शामिल हैं। इससे पहले दतिया, ग्वालियर, नर्मदापुरम, उज्जैन, खजुराहो, रीवा, सतना, भोपाल, गुना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, श्यापुर, जबलपुर, दमोह, मंडला, नरसिंहपुर, नीगांव, मलाजखंड, टीकमगढ़ समेत कई जिलों में कोहरे का असर भी देखा गया।

राज्यसभा में उठा इंदौर में दूषित-पानी से मौत का मामला

भोपाल (नप्र)। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 29 से अधिक मौतों का मामला राज्यसभा में गुंजा है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने सदन में इस मामले को उठाते हुए कहा है कि पानी सबसे गंभीर विषय है और जहरीला पानी सरकार पिला रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

तिवारी ने कहा कि इस विभाग में जितना कर्रप्शन है, शायद किसी और विभाग में उतना कर्रप्शन नहीं है। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इसकी कार्ययोजना से अवगत कराएं।

सोमवार को राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में कांग्रेस से राजस्थान से सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह एक गंभीर विषय है। मानवता से जुड़ा है। हिन्दुस्तान के हर आदमी से जुड़ा सवाल है। इसलिए सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। मंत्री भी गुजरात से हैं। गांधी नगर गुजरात में प्रदूषित जल पीकर कितने लोग बीमार हुए।



इंदौर में कितने लोग मरे, 29 लोग मरे हैं, यह हालिया स्थिति है। राज्य मंत्री तो लड़खड़ा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री उठिए, मोर्चा संभालिए। मैं जानना चाहता हूं कि विश्व की मानवता से जुड़ा हुआ, हर इंसान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सदन को आश्चर्य करे कि जो ग्राउंड वाटर है, उसकी क्वालिटी बेहतर करने के

कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा- सरकार लोगों को जहरीला पानी पिला रही है

लिए क्या कार्ययोजना आपके पास है।

इमरान प्रतापगढ़ी ने पूछे सवाल-क्या केंद्र ने राज्य से सवाल किया, रिपोर्ट मांगी- राज्यसभा में महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए वे विभागीय

मंत्री से पूछना चाहते हैं कि इन मौतों का जिम्मेदार किसको माना जा रहा है?

क्या इसमें सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? क्या जल शक्ति मंत्रालय ने इसमें संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से सवाल किया? क्या इस मामले में राज्य सरकार ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की? इसकी जानकारी दी जाए।

सांसद डॉ. सैयद नासिर हुसैन ने भी सवाल पूछे थे- इससे पहले कर्नाटक से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता डॉ. सैयद नासिर हुसैन ने राज्यसभा में इंदौर के स्वच्छता और जल आपूर्ति सिस्टम को लेकर सरकार से सीधे सवाल पूछे थे।

इंदौर में दूषित पानी से अब 32 लोगों की मौत- गौरलाल बे है कि इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से मौतों का सिलसिला जारी है। आज भी एक व्यक्ति की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई है। इंदौर में दूषित पानी से मौत का आंकड़ा अब 32 तक पहुंच गया है।



रहे हैं। सूरत में 9 फरवरी तक होनी है सूरत में 9 जनवरी से इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है। सूरत के लालभाई कॉन्टेक्टर स्टेडियम में लीग के 44 मैच खेले जाएंगे।

बंग भवन के पास दिल्ली पुलिस से भिड़ गई ममता

एसआईआर पीड़ितों के प्रति ‘संवेदनशीलता’ की मांग



कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दिल्ली के बंगा भवन के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों का सामना किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में किसी आंदोलन के लिए नहीं आई हैं। उनका मकसद चुनावी सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाना है।

ममता बनर्जी रविवार को दिल्ली पहुंची थी। इसके बाद वो बंगा भवन गईं, जो दिल्ली में पश्चिम बंगाल सरकार का गेस्ट हाउस है। वहां वे परिवार ठहरे हुए हैं जो बंगाल में चुनावी सूची की जांच प्रक्रिया से प्रभावित हुए हैं। इमारत के बाहर भारी पुलिस बल तैनात देखकर मुख्यमंत्री नाराज हो गईं। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से कहा कि वे बंगाल के लोगों के

साथ संवेदनशीलता से पेश आएँ। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगा भवन में बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से कहा, हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमारी चुनाव आयोग के साथ बैठक तय है। लोग परेशान हैं, क्या उनके परिवार मीडिया से बात भी नहीं कर सकते।

मुख्यमंत्री ने कहा, जहां भी एसआईआर से प्रभावित परिवार ठहरे हैं, वहां दिल्ली पुलिस तैनात है। जब दिल्ली में धमाका होता है तो दिल्ली पुलिस कहा होती है। मुख्यमंत्री ने कहा मैं दिल्ली पुलिस को दोष नहीं देती, मैं उन लोगों को दोष देती हूं जो शीर्ष पर हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग देश की रक्षा करने में नाकाम हैं और आम लोगों पर एसआईआर के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं।

एक-एक कार्यकर्ता को गढ़ना और उनका ध्यान रखना, शरद जी की कुशलता थी

भोपाल। शाखा लगाने के लिए कितना परिश्रम लगता है और सतत प्रक्रिया अपनानी होती है, यह शरद जी ने अपने व्यवहार से कार्यकर्ताओं को सिखाया। संघ की शाखाएं बढ़े लेकिन उनकी गुणवत्ता भी बढ़े, शरद जी का हमेशा यह प्रयास रहता था। वे संघकार्य के कुशल शिली थे। एक-एक कार्यकर्ता को गढ़ना और उनका ध्यान रखना, शरद जी की कुशलता थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख अरुण जैन ने यह विचार ‘शरद स्मृति व्याख्यान’ में व्यक्त किए। कार्यक्रम का आयोजन अर्चना प्रकाशन की ओर से अपने संस्थापक स्वर्गीय शरदचंद्र मेहरोत्रा की पुण्यतिथि के प्रसंग पर मानस भवन, भोपाल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्यभारत प्रान्त के संघचालक अशोक पांडेय ने की। इस अवसर पर मंच पर अर्चना प्रकाशन न्यास के अध्यक्ष लाजपत आहूजा भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर अरुण जैन ने कहा कि जब मध्यभारत में शरद जी प्रचारक होकर आये तो संघकार्य को नया आयाम मिला। उनके प्रयासों से शिवपुरी और



प्रकल्प आज दिखाई दे रहा है, उसकी नींव में शरद जी थे। वे धुन के पक्ष थे, जिस काम

की ठान लेते, उसे करके ही मानते थे। वे बहुत व्यवहारिक थे। धरातल पर कार्य करने के अध्यासी थी। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रान्त के संघचालक अशोक पांडेय ने कहा कि किसी भी महापुरुष को याद करके हम अपने कर्तव्य की झल्री नहीं करते हैं। वे दीपस्तंभ हैं, जो हमें मार्ग दिखाते हैं। शरद जी अपने अंतिम समय तक देश-सम्माज की चिंता करते रहे। अपने श्रेय के लिए पूर्ण समर्पित शरद जी का जीवन हम सबके लिए अनुकरणीय है। कार्यक्रम के प्रारंभ में अर्चना प्रकाशन के निदेशक ओमप्रकाश गुप्ता ने प्रकाशन की स्थापना की पृष्ठभूमि एवं वर्तमान गतिविधियों की जानकारी दी। आभार ज्ञापन अरुण उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम के दौरान अर्चना प्रकाशन न्यास की वार्षिक स्मारिका ‘शतब्दी के निहितार्थ’ का लोकार्पण किया गया, जिसका संपादन प्रो. उमेश कुमार सिंह ने किया है। इसके साथ ही डॉ. विकास दवे की ‘भारत का जय घोष - वंदे मातरम्’, लाजपत आहूजा की ‘धर्म की ढाल - गुरु गोविंद बहदुर’ तथा रमेश शर्मा की ‘भगवान बिरसा मुंडा’ पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

रेयर अर्थ के लिए अमेरिका करेगा ‘महागठबंधन’

● भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत जुटेगे 20 दिग्गज देश, चीन की उड़ी नींद

वॉशिंगटन (एजेंसी)। भारत के विदेश मंत्री अमेरिका में क्रिटिकल मिनरल्स पर होने वाली बैठक में शामिल होंगे। अमेरिका के



नेतृत्व में दुर्लभ खनिजों से चीन के वर्चस्व को मिटाने के लिए समिति का गठन किया गया है, जिसमें भारत शामिल होगा। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोरे ने पिछले महीने नई दिल्ली में कहा था कि फरवरी में भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने का न्योता दिया जाएगा। अमेरिका में ये बैठक स्थानीय समय के मुताबिक 2-4 फरवरी तक होने वाली है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में 2

फरवरी को जारी एक बयान में कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से बुलाई गई क्रिटिकल

● पैक्स सिलिका के जरिए ट्रंप सुधार पाएंगे सहयोगियों से संबंध- पैक्स सिलिका की बैठक में वो देश शामिल हो रहे हैं, जिनके अमेरिका से रणनीतिक और सहयोगी संबंध रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने करीब करीब सभी के साथ अमेरिका के संबंध खराब कर लिए हैं। ऐसे में पैक्स सिलिका सम्मेलन को ट्रांसअटलांटिक संबंधों को सुधारने और चीन से जोखिम कम करने के लिए रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें खास तौर पर स्टील पर केंद्रित एक गठबंधन भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को कहा है कि वह 1.2 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की लागत से मिनरल्स को लेकर एक स्ट्रेटिजिक रिजर्व बनाएगा, ताकि चीन से होने वाली सप्लाई चैन की रुकावट के असर को कम किया जा सके।

● पाकिस्तानी नेता बोले-हमारा जीरो-टैरिफ हनीमून खत्म,अरबों डॉलर के नुकसान का खतरा

भारत-ईयू डील से

इस्लामाबाद (एजेंसी)। भारत और युरोपियन यूनियन (ईयू) के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) से पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। उसे अरबों डॉलर के नुकसान का भी डर है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इस समझौते को लेकर गुरुरार को कहा कि वह ईयू के अधिकारियों के संपर्क में है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि भारत-ईयू का उसके निर्यात पर क्या असर पड़ेगा। वहीं, पाकिस्तान के



पूर्व वाणिज्य मंत्री गोहर एजाज ने सोशल मीडिया पर लिखा-ईयू के साथ पाकिस्तान का जीरो-टैरिफ हनीमून खत्म हो गया है और करीब एक करोड़ नौकरियां

खतरे में हैं। सरकार उद्योगों को सस्ती बिजली, कम टैक्स और आसान कर्ज दे, ताकि वे दूसरे देशों की इंडस्ट्री से मुकाबला कर सकें।

शहडोल में करंट से बाघों की मौत पर जवाब मांगा

एक्टिविस्ट बोले, 33 दिनों में एमपी में 11 बाघों की मौत सुरक्षा पर गंभीर सवाल

भोपाल (नप्र)। शहडोल में करंट से दो बाघों की मौत के मामले में राज्य सरकार ने शहडोल के सीसीएफ से जवाब तलब किया है। मामले में लापरवाह वन अफसरों पर कार्रवाई के लिए कहा है। चीफ वाइल्डलाइफ शुभ रंजन सेन ने इस मामले में जांच रिपोर्ट मांगे जाने की पुष्टि की है। दूसरी ओर बाघों की लगातार हो रही मौत के मामले में वाइल्डलाइफ चीफ को हटाने की मांग की जाने लगी है। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि 2026 में 33 दिनों में 11 बाघों की मौत हो चुकी है। वन विभाग को रविवार रात सर्किल मंसिरा के आरएफ 382 क्षेत्र के पास एक



बाघ का शव मिलने की सूचना मिली थी। जांच के दौरान सोमवार तड़के उसी क्षेत्र में एक बाघिन का शव भी बरामद हुआ। दोनों शव राजस्व क्षेत्र में एक-दूसरे के नजदीक पाए गए, जिससे यह पुष्टि हुई कि उनकी मौत एक ही घटना में हुई है। मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर दोनों बाघों की मौत बिजली के करंट से होने की पुष्टि हुई है। जांच में यह सामने आया है कि एक किसान ने अपनी फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत में अवैध रूप से बिजली का तार बिछाया था। एसी तार की चपेट में आने से दोनों बाघों की जान चली गई।

बाघों की गणना चल रही और बाघ मर रहे

वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे का कहना है कि प्रदेश में इस समय बाघों की गणना का काम चल रहा है। 2025 से यह काम शुरू हुआ है जो 2026 में मई तक चलने वाला है। ऐसे में टाहगर एरिया में कैमरे इंस्टाल किए जा रहे हैं और बाघों की मौत हो रही है। इससे सवाल उठता है कि वन विभाग के लोग क्या कर रहे हैं? दुबे ने कहा कि एमपी में 2025 में 55 बाघों की मौत हुई थी। वर्ष 2026 में 33 दिनों के अंतराल में आज हुई बाघों की मौत को मिलाकर 21 बाघ-बाघिन की मृत्यु हुई है, इसमें से 11 एमपी में मृत हुए हैं जो बाघों की सुरक्षा पर सवाल है।

एसडीओ, रेंजर, फारेस्टर को सस्पेंड किया जाए

आरटीआई एक्टिविस्ट वाइल्डलाइफ अजय दुबे का कहना है कि एमपी में बाघों के मामले में जिस तरह से लापरवाही की जा रही है, वह गंभीर और चिंतनीय है। खासतौर पर शहडोल संभाग में भारी लापरवाही हो रही है। बाघों के शिकार पर शहडोल के सीसीएफ से पीसीसीएफ (हॉफ) द्वारा जवाब-तलब कर लापरवाह वन अफसरों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन स्थिति पर नियंत्रण के लिए रेंजर, एसडीओ, फॉरेस्टर को सस्पेंड किया जाना चाहिए।

दुबे का कहना है कि बिजली के करंट से एक नर और एक मादा बाघ की मौत हो गई है। मृत बाघिन के शावक लापता हैं। यह लगातार लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश के वन्यजीव विभाग में जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। दुबे ने कहा कि हम वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ता वाइल्डलाइफ चीफ शुभ रंजन सेन को तत्काल हटाने की मांग करते हैं।

संपादकीय

बजट: तस्वीर उतनी उजली नहीं

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण द्वारा संसद में पेश अपने नौवें वार्षिक बजट में दीर्घावधि विकास के जो सपने दिखाए गए हैं और वर्तमान में देश की जो आर्थिक हालात है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि तस्वीर उतनी उजली नहीं है, जितनी कि बताने की कोशिश की गई है। विपक्षी कांग्रेस ने तो इसे ‘अंधा बजट’ बताया हुए कहा कि इसमें मूल समस्याओं और जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही रोजगार, विकास और आर्थिक सर्वे को नजरअंदाज किया गया है। अगर कांग्रेस की प्रतिक्रिया को विपक्ष की अपेक्षित प्रतिक्रिया मानकर दरकिनारा करें तो भी केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा के मातृ संगठन आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संगठन और भारतीय किसान संगठन ने भी बजट को लेकर निराशा जताई है। उनका कहना है कि बजट में मजदूर और किसानों के लिए कुछ नहीं है। जाहिर है कि इस बजट में रेवेडू बांटने जैसा कुछ भी नहीं है। कुछ विशेषज्ञों की नजर में यह बजट बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2014 में जारी घोषणा पत्र की तरह वायदों का पुलिंदा है। बजट में अधिकांश योजनाओं का साल दो साल में तो अर्थव्यवस्था पर कोई असर दिखता प्रतीत नहीं होता। इसकी वजह दुर्लभ खनिज गलियारे से लेकर नए जलमार्गों के विकास तक लगभग सभी बड़ी परियोजनाओं के लागू होने की अवधि खासी लंबी होना है। इसी तरह रोजगार संवर्धन के दावे वाली पर्ट्यन सुविधाओं के विस्तार एवं उनके लिए टूरिस्ट गाइड आदि के प्रशिक्षण एवं पैरा मेडिकल सेवाओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना अथवा विस्तार एवं क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए स्वदेशी डेटा सेंटरों की स्थापना संबंधी घोषणाओं के लागू होने में काला समय लगने की आशंका है।

यह सही है कि बजट की अधिकतर घोषणा अर्थव्यवस्था में दूरगामी परिवर्तनों की नीयत से की गई हैं जिससे अगले वित्त वर्ष में तो कोई रोजगार बढ़ने अथवा पूंजी निवेश में तेजी आने की संभावना दिखाई नहीं देती। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि बजट में की गई ज्यादातर घोषणाएं वर्ष 2029 के आम चुनाव के मद्देनजर की गई प्रतीत होती हैं। इस राजनीतिक गुणाभाग से हटकर आर्थिकी की कसौटी पर कसें तो बजट का सीधा गणित यह है कि वर्ष 2026-27 के केन्द्रीय बजट में कुल 53 लाख 47 हजार 315 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इसका 24 फीसदी सरकार कर्ज लेकर जुटाएगी। बाकी रकम टैक्स और गैर कर स्रोतों से आएगी। सरकार जो खर्च करेगी, उसमें 20 फीसदी हिस्सा तो कर्ज चुकाने में जाएगा। 22 फीसदी भाग उगाहए गए कर्ज में से राज्यों का हिस्सा देने के रूप में, 11 प्रतिशत रखा खर्च और दो प्रतिशत केन्द्रीय कर्मचारियों की पेंशन पर खर्च होगा। इसके अलावा केन्द्र सरकार के अपने प्रशासनिक खर्च भी हैं। इन सब के बाद पूंजीगत निवेश के लिए लगभग 17 लाख करोड़ रु. बचेंगे। केन्द्र सरकार अगले वित्त वर्ष में लगभग 17 लाख करोड़ के नए कर्ज लेगी। फिर भी 4.3 फीसदी का राजकोषीय घाटा बाकी रहेगा। हालांकि यह घाटा निर्धारित सीमा के भीतर ही रहेगा। मुद्दा यह है कि यदि देश का चौथाई बजट कर्ज चुकाने में खर्च हो रहा हो तो समझा जा सकता है कि देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है। पिछले साल भी सरकार ने 14 लाख करोड़ रु. का कर्ज लिया था। इस बार 3 लाख करोड़ रु. का ज्यादा कर्ज लेगी। इसका सीधा मतलब है कि सरकार कर्जा चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही है। मप्र सहित ज्यादातर राज्य सरकारों की भी यही स्थिति है। जिस तेजी से कर्ज लिया जा रहा है, राजस्व संग्रहण उतना बढ़ नहीं पा रहा है। ऊपर से रेवेडिगां बांटनी पड़ रही है।

वागर्थ

बदलता बांग्लादेश: चुनावों का भारत पर असर

नजरिया

अंशुमान

लेखक संसद टीवी से जुड़े पत्रकार हैं।



बां ग्लादेश एक लंबे और हिंसक संघर्ष के बाद अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले वहाँ एक अलोकतांत्रिक और दमनकारी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ। इसके बाद करीब 18 महीनों तक ऐसा दौर चला, जब शासन कमजोर रहा और कानून-व्यवस्था लगातार बिगड़ती चली गई। अब देश 12 फरवरी को होने वाले अपने 13वें संसदीय चुनाव की ओर बढ़ रहा है। इसी दिन एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी करया जाएगा, जिसमें देश की जनता पाँच अहम सवालों पर अपनी राय देगी। यह जनमत संग्रह संविधान में बदलाव से जुड़ा है, जिसकी माँग खास तौर पर युवाओं के आंदोलन से उठी थी।

तमाम उतार-चढ़ाव के बाद अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश में कई सामाजिक और राजनीतिक दरारें साफ़ दिखने लगी हैं। एक बार फिर से लोगों की पहचान से जुड़े सवाल फिर से चर्चा में आ गए हैं और अलग-अलग तरह के राष्ट्रवादी विचार खुलकर सामने आने लगे हैं। ऐसे माहौल में उम्मीद की जा रही है कि एक चुनी हुई सरकार देश को राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता की ओर ले जाएगी।

वैश्विक स्तर पर राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का भी मानना है कि यह चुनाव बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। चुनाव से पहले जिस तरह की हिंसा और तनाव देखने को मिल रहा है, उससे साफ़ संकेत मिलता है कि मुकाबला कड़ा और बेहद तीखा होगा। देश के करीब 12.7 करोड़ मतदाता, 300 संसदीय सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे लगभग 2000 उम्मीदवारों में से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। लेकिन असल सच्चाई यह है कि अवामी लीग के चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाने के कारण देश का राजनीतिक संतुलन पूरी तरह बदल गया है। इस वजह से अब यह चुनाव मुख्य रूप से दो पुराने सहयोगी दलों बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी यानी जेआई के बीच सीधी और निर्णायक लड़ाई बन गया है।

इन सबके बीच बीएनपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी नेतृत्व के उत्तराधिकारी तारिक रहमान पिछले महीने ढाका लौटे। उनके लौटने पर पार्टी समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बांग्लादेश के लिए अपनी योजना सामने रखी और लोगों से राष्ट्रीय एकता की अपील की, ताकि जनता की उम्मीदों को पूरा किया जा सके। साथ ही उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों से समान दूरी बनाए रखने

की बात कही। मौजूदा राजनीतिक हालात में यह एक अहम संदेश माना जा रहा है। बीएनपी का चुनावी नारा सबसे पहले बांग्लादेश आम लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह दर्शाता है। हालांकि यह भी सही है कि पिछले 17 वर्षों से सत्ता और राजनीति के हाशिये पर रही इस पार्टी के लिए वापसी आसान नहीं है और इसके सामने कई मुश्किलें हैं। खुद को राजनीति के बीच वाले रास्ते यानी मध्यमार्गी विकल्प के रूप में पेश करने के लिए बीएनपी ने 10 दलों के गठबंधन का नेतृत्व करते हुए जमात-ए-इस्लामी से दूरी बनाने का फैसला किया।

दूसरी ओर, जमात-ए-इस्लामी, एक धार्मिक राजनीतिक दल है, अंतरिम सरकार के आने के बाद फिर से मजबूत हुई है। अब वह मुख्यधारा की राजनीति में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रही है। जमात को लगता है कि यह उसके लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि आने वाले समय में शायद उसे ऐसा अवसर फिर मिले। इसी कारण उसने इस चुनाव में अवामी लीग को भाग लेने की अनुमति न देने की खुलकर माँग की, जबकि बीएनपी का रुख इस मुद्दे पर उतना सख्त नहीं रहा।

पिछले कुछ महीनों में हुए विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में अच्छी जीत के बाद जमात को भरोसा है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मौजूदगी मजबूत कर सकती है। जमात एक संघटित और आर्थिक रूप से संजबूत पार्टी है और वह 11 दलों के एक अलग गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। इसमें नई पार्टी नेशनल सॉिटिजन पार्टी (एनसीपी) भी शामिल है। इससे युवाओं के बीच उसकी छवि जरूर बनी है, लेकिन जिन 32 सीटों पर यह पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहीं बड़ी जीत की उम्मीद कम ही जताई जा रही है। जमात का नारा ‘चलो मिलकर बांग्लादेश बनाएँ’ उसकी अपेक्षाकृत साफ़ और भ्रष्टाचार-मुक्त छवि पर जोर देता है। लेकिन महिला उम्मीदवारों की पूरी तरह कमी और महिलाओं से जुड़े उसके सच विचार उसकी बड़ी कमजोरी हैं।

हालाँकि जमात के कुछ नेताओं ने भी प्रगतिवादी कदम के रूप में महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दफ्तरों में डे-केयर सेंटर और स्तनपान कक्ष जैसी सुविधाएँ



खबरें सामने आई हैं। पार्टी के अंदर भी असंतोह है, क्योंकि पुराने नेताओं की जगह नए चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा, 72 सीटों पर पार्टी से निकाले गए बीएनपी नेता स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे वोट बंटने की संभावना बढ़ गई है। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कई सीटों पर मुकाबला बीएनपी और उसके ही पूर्व नेताओं के बीच होगा। हालांकि इस बार माना जा रहा है कि लोग पार्टी के चुनाव चिन्ह से ज्यादा उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि को देखकर वोट देंगे।

इस चुनाव में सबसे दिलचस्प यह देखना होगा कि इस बार बांग्लादेश में युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाता कुल मतदाताओं का लगभग 35 प्रतिशत हैं और 2024 के आंदोलन, जवाबदेही की माँग और अच्छे शासन की उनकी अपेक्षाओं को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि उनका झुकाव किस ओर होगा। जातीय पार्टी आलमगीर पर कम सीटें जीतने के बावजूद सत्ता में आने वाले गठबंधन का साथ देती रही है। इस बार नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से

एक नया गठबंधन बना है, जिसमें जातीय पार्टी के दो गुट शामिल हैं। इन सबके बीच जीएम फ़ादेर के नेतृत्व वाला गुट इससे बाहर है, जिससे चुनाव और भी अनिश्चित हो गया है। हालाँकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रगतिशीलता दिखाते हुए पहली बार विदेशों में रहने वाले करीब चार लाख बांग्लादेशी नागरिकों को पोस्टल बलेट के जरिए वोट देने की सुविधा दी है। इस बार मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से नहीं, बल्कि कागजी बलेट से किया जाएगा। यह चुनाव केवल देश की अंदरूनी राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर बांग्लादेश के दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर भी पड़ेगा।

इन सबके बीच यह एकदम साफ़ है कि भारत के लिए भी मौजूदा हालात आसान नहीं हैं। पिछली बीएनपी सरकार के दौरान भारत को सुझा से जुड़ी कई चिंताएँ थीं, जिन्हें वह अब भी नहीं भूला है। वहीं जमात-ए-इस्लामी का रुख खुलकर भारत विरोधी रहा है जो एक चिंता का विषय हो सकता है। हालाँकि हाल के महीनों में कई बांग्लादेशी नेताओं ने भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की बात कही है, लेकिन भारत की नीतियों से नाराज समूहों से निपटना नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। अवामी लीग के 15 साल के शासन और उसके बाद के पिछले 18 महीनों के अनुभवों ने बांग्लादेश में भारत के खिलाफ भावनाओं को और तेज किया है। भारत इन चुनौतों को पूरी तरह समावेशी नहीं मानता। अंतरिम सरकार द्वारा अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाए जाने से दिल्ली और ढाका के रिश्तों में दूरी बढ़ी है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री का खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होना बांग्लादेश में सकारात्मक रूप से देखा गया, लेकिन उनका युनुस से मुलाकात न करना चर्चा का विषय बना रहा। इसके बाद क्रिकेट से जुड़ा एक विवाद सामने आया। फिर भारत द्वारा पूर्व अवामी लीग नेताओं को मीडिया से बातचीत की अनुमति देना जिसमें एक कार्यक्रम के दौरान शेख हसीना का ऑल्लहाइन शामिल होना भी शामिल था, स्थिति को और बिगाड़ गया। इसका समय बेहद गलत था और इससे बांग्लादेश के बड़े हिस्से में नाराजगी फैल गई।

चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली और ढाका अपने आपसी रिश्तों को नए पिररे से देखने और सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाएँगे। बीते कुछ समय में दोनों देशों के संबंधों में जो तनाव और गलतफहमीयाँ पैदा हुई हैं, उन्हें बातचीत और आपसी समझ से दूर करने की जरूरत होगी। फिर और भी भरोसेमंद रिश्ते न केवल भारत और बांग्लादेश, बल्कि पूरे क्षेत्र के हित में हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 2026 के संसदीय चुनाव बांग्लादेश के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होंगे। इन चुनावों का असर देश की आंतरिक राजनीति, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की मजबूती और शासन की दिशा पर तो पड़ेगा ही, साथ ही भारत समेत दूसरे देशों के साथ उसके संबंधों को भी नई दिशा मिलेगी।

शिक्षण संस्थानों में ‘यूजीसी’ के नए वैधानिक प्रयास

यूजीसी विवाद

डॉ. सुधीर कुमार

(हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले में सहयोग प्रोफ़ेसर)

जा तिगत भेदभाव को जड़ से मिटाने के पावन उद्देश्य से लाए गए ‘यूजीसी भेदभाव-विरोधी नियम 2026’ वर्तमान में समावेशिता के बड़े दावों और कानूनी अस्पष्टता के भ्रम में फँस गए हैं। यदि हम इन नियमों के सकारात्मक पक्ष का अवलोकन करें, तो ‘इक्विटी सेट’ का गठन और ‘एंटी-डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर’ की नियुक्ति जैसे कदम निस्संदेह स्वागत योग्य हैं। ये प्रावधानों के रूप में उस जवाबदेही को संस्थागत रूप देते हैं, जिसकी कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। यह पहल एक ऐसा सुझा कवच प्रदान करने का प्रयास करती है जहाँ हर छात्र, चाहे उसका सामाजिक स्तर कुछ भी हो, खुद को सुरक्षित महसूस कर सके।

विवाद की मुख्य जड़ ‘जाति’ की संकुचित परिभाषा (नियम 3 सी) में निहित है, जिसने सामाजिक ध्रुवीकरण को जन्म दिया है। जहाँ सामान्य वर्ग का तर्क है कि ‘भेदभाव’ किसी भी जाति के साथ हो सकता है और इसके दायरे में सभी को शामिल किया जाना चाहिए, वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में यह असुझा है कि ओबीसी को समान श्रेणी में रखने से उनका 2012 के नियमों वाला विशेष संवैधानिक संरक्षण कमजोर हो जाएगा। यह स्थिति दर्शाती है कि सामाजिक न्याय जैसे संवेदनशील विषयों पर केवल सुधारवादी मंशा पर्याप्त नहीं है; इसके लिए व्यापक सर्वसम्मति, ऐतिहासिक परिश्रम और स्पष्ट वैधानिक परिभाषाओं का होना अनिवार्य है। छात्रों और शिक्षाविदों का मुख्य तर्क यह है कि प्रस्तावित नियमों में प्रयुक्त कुछ शब्दावलीयाँ और प्रक्रियाएं भ्रमपूर्ण की स्वायत्तता को गंभीर चोट पहुँचा सकती हैं। पर्यवेक्षणकारियों का मानना ​​है कि नियमों का वर्तमान स्वरूप जमीनी हकीकत से कोसों दूर है और यह वास्तविक न्याय के बजाय एक ‘प्रशासनिक खानापूती’ या ‘कागजी प्रक्रिया’ बनकर रह जाएगा।

असंतोष की जड़ उस ऐतिहासिक अविरास में हैं, जहाँ पीड़ित अक्सर न्याय के बजाय जटिल प्रक्रियाओं के जाल में

यूजीसी ने हाल में प्रस्तावित ‘उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव का उन्मूलन’ नियम–2026 ने देशव्यापी वैचारिक घमासान छेड़ दिया। शिक्षा का प्रांगण वह नर्सरी है जहां राष्ट्र का भविष्य गढ़ा जाता है। यदि इसी आधारशिला में भेदभाव की दरारें दिखें, तो पूरे राष्ट्र का ढांचा डगमगा सकता है। जहां सरकार का लक्ष्य कैपस को समावेशी और सुरक्षित बनाना है, वहीं इन नियमों के कुछ विशिष्ट प्रावधानों ने छात्र संगठनों और शिक्षकों में गहरा आक्रोश पैदा किया है। लोकतंत्र में नीतियाँ पर सवाल उठाना केवल आंदोलन नहीं, बल्कि सुधार की अनिवार्य प्रक्रिया है।

उलझ कर रह जाता है। छात्रों की मांग केवल प्रतीकात्मक विरोध नहीं, बल्कि एक ऐसी पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली की है जहाँ शिकायतकर्ता को प्रशासन के दमन का भय न हो। सामाजिक न्याय के समर्थकों का यह तर्क भी महत्वपूर्ण है कि कैपसों में जातिगत भेदभाव आज भी एक कड़वी हकीकत है। ऐसे में, सुरुआत्मक नियमों को लचीला बनाना ‘संवैधानिक गारंटी’ के साथ विश्वासघात करने जैसा होगा। एक

विश्वविद्यालय की आत्मा उसके शिक्षक और वहां की अकादमिक स्वतंत्रता में बसती जिन पर शोध और शिक्षण का पूरा दायरेमदार होता है। किसी भी नए नियम का प्राथमिक उद्देश्य उन्हें ‘अपराधी’ की तरह कटघरे में खड़ा करना नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसा स्पष्ट ढांचा प्रदान करना होना चाहिए जिससे वे अपने संस्थान को एक आदर्श और न्यायपूर्ण समाज का छोटा स्वरूप बना सकें।

समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 का प्राण है। न्यायपालिका ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया है कि शिक्षण संस्थानों में भेदभाव-मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यहाँ ‘विशाखा बनाम राजस्थान राज्य’ (1997) के ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख करना प्रासंगिक है। यद्यपि वह मामला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि जहाँ कानून मौन या अस्पष्ट है, वहाँ संस्थानों को अपनी आंतरिक मार्गदर्शिका और समितियाँ बनानी चाहिए।

केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) (निजता का अधिकार) मामले में अदालत ने व्यक्ति की ‘गरिमा’ को

मौलिक अधिकारों में सर्वोपरि माना था, और यूजीसी के 2026 के नियम इन्हीं संवैधानिक मूल्यों को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक साहसी प्रयास हैं। पूर्व की ‘शेरत समिति’ की रिपोर्ट और ‘रोहित वेमुलू’ व ‘डॉ.पायल तड़वी’ प्रकरण के बाद उभरी राष्ट्रीय संवेदनाओं ने यह अनिवार्य कर दिया था कि नियम केवल कागजी घोषणाएं न हों, बल्कि उनमें जवाबदेही और दंडात्मक प्रावधानों का एक स्पष्ट खाका मौजूद हो। यदि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार इन नियमों को वापस लेने या संशोधित करने पर विचार कर रही है, तो इसे नीतियों की विफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके विपरीत, इसे एक



‘न्यायिक और लोकतांत्रिक सुधार’ की उस प्रसन्न प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए जो समाज की बदलती जरूरतों और व्यापक विमर्श के साथ खुद को परिष्कृत करती है।

वर्तमान में यूजीसी नियमों को लेकर उभरे विवाद और गतिरोध को दूर करने के लिए दंडात्मक दृष्टिकोण के बजाय सुधारात्मक मार्ग अपनाना कहीं अधिक प्रभावी सिद्ध होगा। इसके लिए सबसे अनिवार्य कदम नियमों की परिभाषा में पूर्ण स्पष्टता लाना है, ताकि एक प्रोफ़ेसर द्वारा किए गए ‘अकादमिक मूल्यमूल’ और ‘जातिगत भेदभाव’ के बीच का अंतर स्पष्ट रहे और शैक्षणिक आलोचना को भेदभाव का रंग न दिया जा सके। साथ ही, इन नियमों की सफलता के लिए स्वतंत्र आंतरिक समितियों की विषयसमीपता, सर्वोपरि है, जिसमें केवल प्रशासन ही नहीं बल्कि बाहरी विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और पारदर्शी तरीके से चुने गए छात्र प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि ‘हितों के टकराव’ की संभावना न रहे।

‘न्याय में देरी, न्याय न मिलने के बराबर है’ के सिद्धांत पर चलते हुए, किसी भी शिकायत का निपटारा अधिकतम 30 दिनों की समयबद्ध सीमा में होना चाहिए, जिससे पीड़ितों का भरोसा बढ़े और झूठी शिकायतों पर अंकुश लगे। अंततः केवल दंड के भय से समाज को नहीं बदला जा सकता; इसके लिए कैपसों में निरंतर अंतराल पर जातिगत, सामाजिक और लैंगिक संवेदनशीलता पर कार्यशालाएं अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि शिक्षकों और छात्रों के मन में एक-दूसरे के प्रति स्वाभाविक सम्मान का भाव जागृत हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार इन नियमों में बड़े संशोधनों या इन्हें वापस लेने पर विचार कर रही है। इसे प्रशासन की ‘हार’ के बजाय एक ‘संवेदनशील और उत्तरदायी सरकार’ के परिपक्व लक्षण के रूप में देखा जाना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती ही इसमें है कि नीतियों को जनभावनाओं के अनुरूप पुनर्निर्धार के लिए खुला रखा जाए।

यूजीसी का यह पूरा प्रकरण हमें एक बड़ा पाठ सिखाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी गुणांतकारी परिवर्तन बिना प्रमुख हितधारकों (छात्र, शिक्षक और प्रशासन) के सक्रिय परामर्श के सफल नहीं हो सकता। समानता का मार्ग सड़कों पर संघर्ष से नहीं, बल्कि मेज पर बैठकर किए गए सार्थक संवाद से ही प्रशस्त होता है। यदि सरकार एक नई ‘सर्वपक्षीय ड्राफ्टिंग कमेटी’ का गठन कर शिक्षाविदों और छात्र प्रतिनिधियों को इसमें स्थान देती है, तो यह भारतीय उच्च शिक्षा के इतिहास में मौल का पथर साबित होगा। हमारा अंतिम लक्ष्य एक ऐसा प्रबुद्ध भारत बनाना है जहाँ किसी भी युवा की जाति, धर्म या लिंग उसकी प्रतिभा के मार्ग में रोड़ा न बने और न ही किसी शिक्षक की गरिमा पर कोई आंच आए। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति को होता हुआ दिखना भी चाहिए। अब समय है कि हम ‘दबाव’ की संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर ‘दस्तावेज’ की दूरदर्शी राजनीति करें, जहाँ नियमों का हर शब्द एक समावेशी और समतामूलक भारत की तस्वीर पेश करे।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धाचिन्यायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक

उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक

अजय बोक्लि

संपादक (मध्यप्रदेश)

विनोद तिवारी

वरिष्ठ संपादक

पंकज शुक्ला

प्रबंध संपादक

अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,

Ph. No. 0755-2422692, 4059111

Email- subahsaverenews@gmail.com

‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

तंत्रय

डॉ. श्रीकांत द्विवेदी

लेखक व्यंग्यकार हैं।



मा ध्यमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक हिंदी के प्रश्न पत्र में ‘जल ही जीवन है’ जैसे विषय पर एक निबंध अक्सर पूछ लिया जाता है। ज्यादातर विद्यार्थी इस विषय पर अच्छे से निबंध लिख लेते हैं। मगर, अब बदलते संदर्भों में निबंध का विषय भी बदला जा सकता है। नए पैटर्न में ‘प्रदूषित जल, समस्या और समाधान’ जैसे विषय पर ही निबंध लिखवाना उचित होगा। कारण, यूं तो जल जीवन है, मगर इन दिनों मौत की वजह भी बनता जा रहा है। ऐसे में पंच तत्वों से बनी मानव देह में जब हवा-पानी दोनों ही प्रदूषित हो जाए तो फिर क्या बचता है। कुछ नहीं बचता। सिर्फ गरुड़ पुराण ही बचता है।

माना कि भारत भूमि कभी पानीदार भूमि भी रही है। यहां की पावन नदियों में रोग निवारण की क्षमता होती थी। समय के साथ-साथ पानीदार भूमि का पानी कब

बोतलों में बंद हो गया, पता ही नहीं चला। जबकि, ज्यादातर पावन नदियां अपने ही रोग निदान की आस लगाए बैठी हैं। तभी तो

बरसों पूर्व कविवर रहीम को लिखना पड़ा था कि ‘रहिमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती-मानुष चूना।’ लिखना इसलिए पड़ा कि रहीम दूरदृष्ट थे। उन्हें पता था कि यदि पानी को सहेजकर नहीं रखा, तो यही पानी एक दिन जानलेवा साबित हो जाएगा। ठीक है, यह सोच करीब चार सदी से भी पहले का रहा होगा। उस दौर में भक्तिवाला था। तब विकास की कोई कल्पना नहीं थी। केवल भक्ति से तो विकास संभव नहीं था।

समय का पहिया घूमता गया। अब भक्तिकाल की जगह शक्तिकाल ने ले ली। मशीनी शक्ति के बल पर जल, जंगल और

जमीन के स्वरूप पूरी तरह से बदल गए। कुएं-बावड़ी पाट दिए। संकरी गलियों तक नाली के किनारे-किनारे नल की पाइप



लाइन के जाल बिछ गए। इतनी सुविधाओं से भी जब लोगों का मन नहीं भरा तो दो-चार कमरे के मकान में भी किचन से सटे अटैच लेट-बाथ बना डाले। साथ ही चार-

छ: फीट के अंतर से वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक भी बना डाले। मात्र इतना ही नहीं पानी की बड़ी-बड़ी टकियां बनीं। कब साफ होती है, किसी को पता नहीं। बस्तियों में ड्रेनेज भी बने। ऐसे में थोड़ा बहुत पेयजल प्रदूषित होना स्वाभाविक है। विकास के लिए इतना तो सहना ही पड़ता है।

बस, इतनी सी बात पर इतना बवाल। बवाल भी उनके खिलाफ, बवाल भी इंदौरी शान के खिलाफ। अरे, इंदौरी शान ही है जिसने देश-विदेश के विशिष्ट जन का आतिथ्य संस्कार कर पर इतना बवाल। बवाल भी उनके खिलाफ, बवाल भी इंदौरी शान के खिलाफ। अरे, इंदौरी शान ही है जिसने देश-विदेश के विशिष्ट जन का आतिथ्य संस्कार कर

इंदौरी पोहे-जलेबी को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। अगर नलों से कम साफ पानी नहीं भी आया, तो मन मारना था। साफ पानी नहीं तो क्या, आपके लिए मेट्रो

ट्रेन है। हो सकता है, अगले चुनाव तक आपके नलों से मिन्नत वाटर मिलने लग जाए। रही बात दूषित पानी पीने से लेकर हुई मौतों की, तो इस बात का जिम्मेदार को भी उतना ही दुःख है, जितना शोकाकुल परिवारों का। इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे। बोलते हैं, तो गला रूंध जाता है। ऐसे में मीडिया वाले जबदस्तरी बुलवाने का प्रयास करते हैं तो फिर व्यथित मुख से कुछ का कुछ निकल जाना स्वाभाविक है।

यह भी सत्य है कि जिनसे भी इस धरती पर जन्म लिया, उसका एक दिन मरण निश्चित है। देह नाशवान है। आत्मा अमर है। क्योंकि, आत्मा को दूषित पानी मार नहीं सकता। जुबानी तलवार काट नहीं सकती और विरोध की आग कश भी जला नहीं सकती। इसलिए है पीड़ित जन! थोड़ा धैर्य रखें। आपके क्षेत्र की कूनों नेशनल पाक से भी ज्यादा देखभाल होगी। हर घर के आगे शौच ही एक नई पाइप लाइन होगी। फिलहाल टैकरो से प्रदत्त पानी से काम चला लें। कारण जल है तो कल है। वैसे जल तो है, मगर कल किसने देखा!

कानून और न्याय
 विनय झैलावत (पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

हाल ही अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन सहित कई प्रसिद्ध हस्तियों के प्रस्तुत मुकदमों से यह स्पष्ट हुआ कि व्यक्तित्व अधिकार और प्रचार अधिकार की अवधारणाओं को लेकर कानूनी चर्चा में काफी भ्रम है। न्यायालयों ने व्यक्तित्व अधिकार और प्रचार अधिकार की व्याख्या और प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किए, लेकिन इनमें से किसी की भी कोई ठोस परिभाषा निर्धारित नहीं की। व्यक्तित्व अधिकारों और प्रचार अधिकारों के बीच अंतर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भी निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या इन दोनों के बीच कोई परस्पर संबंध है या नहीं। कुछ समय पहले जैकी श्राॅफ समेत कई हस्तियों ने ऐसे मामले उठाए थे। हम विश्लेषण करते हैं कि न्यायिक व्याख्या ने इन अधिकारों को किस प्रकार आकार दिया है। इसके परिणामस्वरूप एक विकृत सेलिब्रिटी-केंद्रित ढांचा और आम व्यक्तियों के लिए समस्याग्रस्त बहिष्करण हुआ है। इस मुद्दे के मूल में यह आवश्यकता निहित है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित निजता और गरिमा के मौलिक अधिकार से अलग किया जाए।

महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में कोई भी कानून व्यक्तित्व अधिकारों या प्रचार अधिकारों को परिभाषित नहीं करता। इससे न्यायालयों को सामान्य कानून और मौजूदा न्यायिक मिसाल के माध्यम से इन अवधारणाओं को विकसित करने की जिम्मेदारी मिलती है। समस्या यहीं निहित है। न्यायालय किसी भी वैधानिक परिभाषा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसके कारण वे मामले के तथ्यों के आधार पर उदार व्याख्या करते हैं और परिभाषाएं देते हैं। सामान्यतः व्यक्तित्व अधिकारों में व्यक्ति का नाम, आवाज, हस्ताक्षर, फोटो, छवि, व्यंग्यचित्र, समानता, व्यक्तित्व और उसके व्यक्तित्व के अन्य विभिन्न गुण शामिल होते हैं। दूसरी ओर, प्रचार अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का

बजट 2026
 कुमार सिद्धार्थ लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा को लेकर सरकार ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव कक्षा, कौशल और तकनीक के मेल से रखी जाएगी। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार शिक्षा पर कुल आवंटन बढ़ाकर लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 1.28 लाख करोड़ रुपये की तुलना में करीब 8.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। पहली नजर में यह बढ़ोतरी उल्लेखनीय लगती है और सरकार इसे भविष्य की तैयारी के रूप में प्रस्तुत कर रही है, लेकिन गहराई से देखने पर यह सवाल भी सामने आता है कि क्या यह बजट वास्तव में पुरानी संरचनात्मक समस्याओं से किनारा करता है या उन्हें नई शब्दबली में ढक देता है।

इस बजट का केन्द्रीय विचार शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को एक साझा रणनीति के रूप में जोड़ने का है। सरकार का मानना ​​है कि केवल डिग्री आधारित शिक्षा अब पर्याप्त नहीं है, इसलिए पाठ्यक्रमों को उद्योग, तकनीक और वैश्विक जरूरतों से जोड़ना आवश्यक है। इसी सोच के तहत स्कूलों और कॉलेजों में कौशल आधारित ढांचे को मजबूत करने की घोषणाएँ की गई हैं। सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला प्रस्ताव 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब' स्थापित करने का है। एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉम्पिक्स जैसे क्षेत्रों को भविष्य के रोजगार से जोड़ते हुए सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि डिजिटल और क्रिएटिव इकोनॉमी अब औपचारिक शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनेगी।

बजट 2026
 डॉ. सत्येंद्र किशोर मिश्र प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, स्मार्ट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन

केंद्रीय बजट 2026-27, आधुनिक तकनीक एवं बदलते उत्पादन प्रणालियों के मध्य महत्वाकांक्षा और समावेशिता में संतुलन साधते हुए विकसित भारत की उम्मीदों से प्रेरित है। बजट वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को तेज तथा बनाए रखने; जनाकांक्षाओं को पूरा करते हुए सबका साथ, सबका विकास की दृष्टि के अनुरूप है। सतत आर्थिक सुधारों पर आधारित प्रयासों से एक दशक में लगभग 25 करोड़ आबादी गरीबी से बाहर आ चुकी है। बजट युवाओं, गरीबों, वंचितों और कमजोर लोगों पर केंद्रित है। शेयर बाजार की तात्कालिक प्रतिक्रिया से इसे बजट का मूल्यांकन करने के बजाय इसे विकसित भारत की दिशा में बढ़ता आत्मविश्वास भरे प्रयास के रूप में समझने की जरूरत है।

बजट बढ़ते व्यापार और पूंजी की जरूरतों के साथ, भारत को वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करते हुए अधिक निर्यात तथा स्थिर दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करता है। बजट में, विकसित भारत की राह में आर्थिक सुधारों के साथ आर्थिक संवृद्धि की रफ्तार बनाए रखते हुए रणनीतिक और सीमांत क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ाने; पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने; चैंपियन एमएसएमई बनाना; बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत प्रोत्साहन देने; दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने; और शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करने की प्रतिबद्धता भी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4 फीसद था, जिसे वित्त वर्ष 2026-27 में 4.3 फीसद से कम रखने का लक्ष्य है। बजट में ऋण-जीडीपी अनुपात घटकर 55.6 फीसद रहने का अनुमान है, यह निवेशकों, रेंटिंग एजेंसियों और वैश्विक बाजार को भारत में आकर्षित स्थिरता का आश्वासन है।

अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु विनिर्माण, पर्यटन, दुर्लभ-पृथ्वी खनन और नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बजट दस्तावेजों में यह भी उल्लेख है कि वर्ष 2030 तक एवीजीसी और इससे जुड़े डिजिटल क्रिएटिव सेक्टर में लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार की आवश्यकता होगी। ऐसे में स्कूल स्तर से ही कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल स्टोरीटेलिंग और तकनीकी कौशल सिखाने की योजनाओं को सरकार एक दूरदर्शी कदम के रूप में पेश कर रही है। इससे युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजन में सक्षम बनाने का दावा किया गया है।

उच्च शिक्षा के मोर्चे पर बजट का झुकाव तकनीक, अनुसंधान और उद्योग से सीधे जुड़ाव की ओर दिखाई देता है। औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास पॉच यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव इसी दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार का तर्क है कि जब विश्वविद्यालय, रिसर्च सेंटर, स्किल हब और उद्योग एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होंगे, तो छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव, इंटरशिप और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। यह मॉडल शिक्षा और उद्योग के बीच लंबे समय से चली आ रही दूरी को पाटने का प्रयास है।

बजट में यह भी कहा गया है कि शिक्षा को रोजगार और उद्योग से जोड़ने के लिए एक उच्च-स्तरीय स्थायी समिति गठित की जाएगी। यह समिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,

वीथिका

प्रचार का कानूनी अधिकार और सेलिब्रिटी की पहचान

देश में प्रचार का कानूनी अधिकार (राइट्स ऑफ पब्लिसिटी) सेलिब्रिटी को अपने नाम, छवि, आवाज या पहचान के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करने और अनधिकृत व्यावसायिक लाभ को रोकने की अनुमति देता है। यह अधिकार सैवधानिक निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21) और ट्रेडमार्क कानून के अंतर्गत संरक्षित है, जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मशहूर हस्तियों के व्यक्तित्व के अनधिकृत उपयोग (एआई, नकली विज्ञापन) के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

व्यावसायिक रूप से दोहन करने का अनन्य अधिकार है (टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मेसर्स रामकुमार ज्वैलर्स)। इस अंतर के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व अधिकारों को प्रचार अधिकारों का एक उपसमूह समझा जाना चाहिए, जिसमें व्यक्तित्व अधिकार और अन्य व्यावसायिक अधिकार शामिल हैं। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि प्रचार अधिकार एक प्रकार के संपत्ति अधिकार हैं। न्यायालयों द्वारा व्यक्तित्व अधिकारों की व्याख्या करने का तरीका किसी व्यक्ति के निजता अधिकारों की मात्रा सुरक्षा के बजाय, सेलिब्रिटी पहचान के व्यवसायीकरण की सुरक्षा को दर्शाता है, जैसा कि न्यायालयों के पूर्व निर्णयों में परिकल्पित किया गया था। इसमें न्यायमूर्ति के.एस. पुडुस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ का मामला भी शामिल है। कई वर्षों के दौरान, व्यक्तित्व अधिकारों की परिभाषा और व्याख्या में एक व्यापक परिवर्तन आया है। पहले यह व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के मौलिक अधिकार पर आधारित स्वायत्तता संरक्षण की अवधारणा थी, लेकिन अब इसका स्वरूप व्यवसायीकरण हो गया है।

व्यक्तित्व अधिकारों की वर्तमान समझ को प्रचार अधिकार कहा जाता है। क्योंकि न्यायिक मिसालों में व्यक्तित्व अधिकारों को मुख्य रूप से केवल मशहूर हस्तियों से जुड़े मामलों में ही मान्यता दी गई है। इससे एक तरह से केवल मशहूर हस्तियों तक ही सीमित ढांचा बन गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐश्वर्या राय बनाम बनाम और अन्य के मामले में पारित एक आदेश में कहा कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान का

उपयोग उनकी सहमति या अनुमति के बिना किया जाता है, तो इससे न केवल संबंधित व्यक्ति को व्यावसायिक नुकसान हो सकता है, बल्कि उनके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार पर भी असर पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों का अनधिकृत शोषण दो पहलुओं को जन्म दे सकता है। पहला, उनके व्यक्तित्व के गुणों को व्यावसायिक



रूप से शोषण से बचाने के अधिकार का उल्लंघन और दूसरा, उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन, जो बदले में उनके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को कमजोर करता है।

इस परिभाषा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यक्तित्व अधिकारों में व्यक्ति के वे गुण शामिल हैं जिनका व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें उनकी निजता का अधिकार भी शामिल है। यह परिभाषा व्यक्तित्व अधिकारों को प्रचार अधिकारों के लगभग समान

बना देती है। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस व्याख्या के कारण, अपने व्यक्तित्व अधिकार को लागू करने या संरक्षित करने का विकल्प अब केवल मशहूर हस्तियों या प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध है। हालांकि, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए, चाहे उनके पास मुद्रिकरण योग्य सेलिब्रिटी व्यक्तित्व हो या न हो। लेकिन, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इन मुकदमों को दायर करने वाले अधिकांश सेलिब्रिटी याचिकाकर्ता वास्तविक सुपरस्टार हैं।

उन्होंने तीन मुख्य तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला, झूठे समर्थन और झूठे विज्ञापन का दावा है। उनका तर्क है कि उनकी व्यक्तिगत पहचान के अनधिकृत उपयोग के कारण जनता को यह भ्रम हुआ है कि उन्होंने किसी उत्पाद, ऑडियो-विजुअल सामग्री, वेबसाइट या कार्यक्रम को प्रायोजित या समर्थन दिया है। दूसरा, एआई उपकरणों (मॉर्फेड तस्वीरें, डीपफेक, जीआईएफ आदि) का उपयोग करके आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरों में उनकी व्यक्तिगत पहचान के अनधिकृत उपयोग से उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया है। तीसरा, इस तरह के उपयोग उनके निजता के अधिकार और आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। संक्षेप में, जिस नुकसान से वे बचाव करना चाहते हैं, उसमें गलत बयानी, छवि धूमिल होने से नुकसान और मानहानि शामिल हैं। विडंबना यह है कि निजता के उल्लंघन से लेकर आजीविका के नुकसान तक के इनमें से कई दावे उन मशहूर हस्तियों की

शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के साझा मॉडल की परिकल्पना

बजट दस्तावेजों में यह भी उल्लेख है कि वर्ष 2030 तक एवीजीसी और इससे जुड़े डिजिटल क्रिएटिव सेक्टर में लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार की आवश्यकता होगी। ऐसे में स्कूल स्तर से ही कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल स्टोरीटेलिंग और तकनीकी कौशल सिखाने की योजनाओं को सरकार एक दूरदर्शी कदम के रूप में पेश कर रही है। इससे युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजन में सक्षम बनाने का दावा किया गया है।

उच्च शिक्षा के मोर्चे पर बजट का झुकाव तकनीक, अनुसंधान और उद्योग से सीधे जुड़ाव की ओर दिखाई देता है। औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास पॉच यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव इसी दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार का तर्क है कि जब विश्वविद्यालय, रिसर्च सेंटर, स्किल हब और उद्योग एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होंगे, तो छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव, इंटरशिप और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। यह मॉडल शिक्षा और उद्योग के बीच लंबे समय से चली आ रही दूरी को पाटने का प्रयास है।

बजट में यह भी कहा गया है कि शिक्षा को रोजगार और उद्योग से जोड़ने के लिए एक उच्च-स्तरीय स्थायी समिति गठित की जाएगी। यह समिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,

डेटा साइंस और उभरती तकनीकों के संदर्भ में यह आकलन करेगी कि भविष्य में कौशल और रोजगार की जरूरतें कैसे बदलेंगी और उसी अनुसार पाठ्यक्रमों में सुधार की सिफारिश करेगी। यह पहल संकेत देती है कि सरकार शिक्षा



नीति को स्थिर नहीं, बल्कि बदलती अर्थव्यवस्था के अनुरूप लचीला बनाना चाहती है।

हालाँकि, इन घोषणाओं के समानांतर कुछ बुनियादी प्रश्न भी खड़े होते हैं। बजट विश्लेषण में यह तथ्य सामने आता है कि शिक्षा पर कुल खर्च अभी भी जीडीपी के लगभग 2.8 से 3 प्रतिशत के आसपास ही बना हुआ है, जबकि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार इसे कम से कम 6 प्रतिशत तक ले जाने की बात वर्षों से कही जाती रही है। इस दृष्टि से देखें तो 8.6 प्रतिशत की नाममात्र वृद्धि वास्तविक जरूरतों के सामने सीमित प्रतीत होती है, खासकर तब जब छात्र संख्या लगातार बढ़ रही है और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की मांग तेज है।

स्कूल शिक्षा के संदर्भ में बजट में डिजिटल और तकनीकी अवसरचना पर जोर दिखाई देता है। डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन संसाधन और नई तकनीकों के माध्यम से शिक्षा को सुलभ बनाने की बात कही गई है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूलों की भौतिक सुविधाएँ और ग्रामीण-आदिवासी क्षेत्रों की जमीनी हकीकत इस डिजिटल छलांग के साथ तालमेल बिटा पाएगी। कई विश्लेषणों में यह चिंता भी जताई गई है कि यदि शिक्षक ही प्रशिक्षित नहीं होंगे, तो स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल लैब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धूल ही फॉकेंगे।

राज्य विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों की स्थिति पर बजट अपेक्षाकृत मौन दिखाई देता है। जबकि देश के लगभग 80 प्रतिशत विश्वार्थी इन्हीं संस्थानों में पढ़ते हैं, अनुसंधान और बुनियादी सुविधाओं के लिए मिलने वाला अधिकांश फंड अब भी केन्द्रीय और प्रीमियम संस्थानों तक सीमित रहता है। इस असंतुलन के कारण राज्य

ओर से आते हैं जिनकी आजीविका लोगों की नजरों में आने पर निर्भर करती है।

व्यक्तिगत अधिकारों और प्रचार अधिकारों के बीच अंतर करना केवल शब्दावली के आधार पर ही आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीएम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम बेबी गिफ्ट हाउस मामले में प्रचार अधिकारों को संक्षेप में समझाया कि प्रचार का अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनधिकृत दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित व्यावसायिक लाभ प्राप्त हो सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। इस संदर्भ में अधिकांश न्यायशास्त्र व्यक्तित्व अधिकारों के बजाय ट्रेडमार्क अधिकारों के क्षेत्र में रहा है। लेकिन ये मामले निजी अधिकारों और व्यापक जनहित के बीच संतुलन स्थापित करने के मामले में शिक्षाप्रद हैं। कुत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक के आगमन के साथ, केवल हस्तियों ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील अन्य समूह भी प्रभावित हो रहे हैं।

यदि कोई आम व्यक्ति, जो डीपफेक का शिकार हुआ है, अपने व्यक्तित्व अधिकारों को लागू करने का प्रयास करता है, तो व्यक्तित्व अधिकारों की वर्तमान व्याख्या उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। उसके पास केवल आपराधिक उपाय ही बचेंगे क्योंकि वह कोई सार्वजनिक हस्ती या सेलिब्रिटी नहीं है। यह दुविधा आसानी से हल हो सकती है यदि व्यक्तित्व अधिकारों और प्रचार अधिकारों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाए। यह अंतर अंतर्निहित व्यावसायिक हितों/अधिकारों के आधार पर किया जा सकता है। व्यक्तित्व अधिकारों को गरिमापूर्ण अधिकारों के रूप में पुनर्विभाषित किया जाना चाहिए, जो अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के एक उपसमूह के रूप में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, चाहे उनका वाणिज्यिक मूल्य कुछ भी हो। इसके विपरीत, प्रचार अधिकारों को बौद्धिक संपदा के समान विशिष्ट वाणिज्यिक अधिकारों के रूप में माना जाना चाहिए, जो हस्तांतरणीय और त्यागने योग्य हों।

शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के साझा मॉडल की परिकल्पना

विश्वविद्यालयों में शोध संस्कृति कमजोर होती जा रही है और बजट में इस खांड को पाटने के लिए कोई ठोस रोडमैप साफ़ नजर नहीं आता।

बजट में यह भी उल्लेख है कि शिक्षा, कौशल और रोजगार को जोड़कर 'भविष्य की अर्थव्यवस्था' की नींव रखी जा रही है। युवाओं को नेतृत्व के लिए तैयार करने की बात कही गई है और इसे जनसांख्यिकीय लाभार्श से जोड़ा गया है। भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और सरकार इस युवा शक्ति को उत्पादक मानव संसाधन में बदलने का लक्ष्य रखती है। लेकिन यह लक्ष्य तभी साकार होगा जब शिक्षा केवल तकनीकी दक्षता तक सीमित न रहे, बल्कि आलोचनात्मक सोच, सामाजिक संवेदनशीलता और रचनात्मकता को भी स्थान दे।

कुल मिलाकर, बजट 2026-27 का शिक्षा खंड एक दोहरे संदेश के साथ सामने आता है। एक ओर यह तकनीक, कौशल और रोजगार के जरिये भविष्य की तैयारी की बात करता है, दूसरी ओर यह पुरानी समस्याओं जैसे अपर्याप्त सार्वजनिक निवेश, शिक्षक भर्ती की कमी और राज्य स्तरीय संस्थानों की उपेक्षा से पूरी तरह मुक्त होता नहीं दिखता। यह बजट शिक्षा को आर्थिक विकास के अजगर के रूप में तो देखता है, लेकिन उसे सामाजिक समानता और बौद्धिक स्वतंत्रता के व्यापक संदर्भ में रखने का साहस अभी अधूरा लगता है।

आखिरकार, यह कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा बजट 2026-27 दिशा तो दिखाता है, लेकिन दूरी अभी तय होनी बाकी है। यह भविष्य की तैयारी का दावा करता है, पर साथ ही यह सवाल भी छोड़ जाता है कि क्या हम पुरानी समस्याओं को हल किए बिना सचमुच एक समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ पाएँगे।

कर्तव्यों के साथ संभावनाओं का बजट

बजट बढ़ते व्यापार और पूंजी की जरूरतों के साथ, भारत को वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करते हुए अधिक निर्यात तथा स्थिर दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करता है। बजट में, विकसित भारत की राह में आर्थिक सुधारों के साथ आर्थिक संवृद्धि की रफ्तार बनाए रखते हुए रणनीतिक और सीमांत क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ाने; पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने; चैंपियन एमएसएमई बनाना; बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत प्रोत्साहन देने; दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने; और शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करने की प्रतिबद्धता है। बजट में नियामक सुधारों, एक मजबूत समर्पित बुनियाद तथा निवेश हेतु निजी क्षेत्र के आह्वान के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.4 फीसद तथा वित्तीय वर्ष 2027-28 में 6.8 से 7.2 फीसद वृद्धि की संभावना के साथ आर्थिक विकास तथा राजकोषीय समेकन के प्रति प्रतिबद्धता भी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4 फीसद था, जिसे वित्त वर्ष 2026-27 में 4.3 फीसद से कम रखने का लक्ष्य है।

बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। बजट में पूंजीगत वस्तुओं की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर है। उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण केन्द्र स्थापित करने तथा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु ₹.40,000 करोड़ का प्रस्ताव है। विनिर्माण क्षेत्र में भारत को वैश्विक बायोफार्मा मैयूफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने हेतु, अगले पांच वर्षों में ₹.10,000 करोड़ के प्रावधान के साथ बायोफार्मा शक्ति स्थापित की जाएगी। श्रम-प्रधान कपड़ा क्षेत्र में एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित है, प्राकृतिक फाइबर जैसे रेशम, ऊन और जूट, मानव निर्मित फाइबर, और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना; मशीनरी, प्रौद्योगिकी-उन्नयन और सामान्य परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों हेतु पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी। मेगा टेक्स्टाईल पार्क तथा तीन रासायनिक पार्क बनाने का प्रस्ताव है। एमएसएमई को विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में पहचानते हुए, भविष्य के एमएसएमई चैंपियन बनाने हेतु ₹.10,000 करोड़ का एमएसएमई ग्रीथ फंड प्रस्तावित है, जो चुनिंदा मानकदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करेगा। तो सौ औद्योगिक पार्कों को पुर्नजीवित किया जाएगा तथा खादी, हथकरघा तथा हस्तशिल्प को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी स्वराज योजना आरंभ की जाएगी।

आधारभूत संरचनाओं के विकास के तहत पर्यावरण के अनुकूल कार्यों की सस्टेनेबल आवाजही को बढ़ावा देने हेतु दानकुनी को सूरत से जोड़ने वाले नए डेक्कटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा अगले 5 सालों में 20 नए नेशनल वॉटरवे चालू करने का प्रस्ताव है। सात हार्डवेयर रेल कॉरिडोर को 'ग्रीथ कनेक्टर' के तौर पर मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी विकसित करेगा। जरूरी मैनागार के डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को रोजनल सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस के

तौर पर बनाया जाएगा। बजट, शहरों की क्षमता को और बढ़ाकर सिटी इकोनॉमिक रीजन्स की मैपिंग कर एंग्लोमेरेशन्स को इकोनॉमिक पावर देगा। रिफॉर्म-कम-रिजल्ट्स बेस्ड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के साथ चैलेंज मोड के जरिए अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए 5 वर्षों में प्रत्येक रीजन के लिए ₹.5000 करोड़ का आण्वटन प्रस्तावित है।

पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप निर्माण में सहायता की जाएगी। डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी तथा देश के प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास खोले जाएंगे। खेल रोजगार तथा कौशल का अवसर प्रदान करती है। युवा विकास हेतु खेलो इंडिया मिशन के जरिए शुरू किए गए स्पोर्ट्स टैलेंट को सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाते हुए, खेलों पर जोर देने का प्रस्ताव है। खेलो इंडिया मिशन को दस वर्षों तक बढ़ाते हुए प्रतिभा विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षक विकास, खेल चिकित्सा को बढ़ावा देना। भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, जिसके लिए वर्ष 2030 तक बीस लाख प्रोफेशनल्स की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। बजट में 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई की सहायता ली जाएगी। मौजूदा नेशनल कार्सिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैंटरिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ हॉस्पिटैलिटी बनाने का प्रस्ताव, एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सरकार के मध्य ब्रिज का काम करेगा। बजट में भारतीय प्रबंध संस्थान के साथ मिलकर हल्ड्रिड मोड में एक स्टैंडर्ड, हार्ड-क्वालिटी 12-हफ्ते के ट्रेनिंग कोर्स के जरिए 20 दूरिस्ट जगहों पर 10,000 गाइड को अप्सकल करने के लिए एक पायलट स्कीम का भी प्रस्ताव है। पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन, स्थानीय क्षेत्र विकास तथा विदेशी आय अर्जन को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय हॉस्पिटैलिटी संस्मण की स्थापना तथा 15 पुरातात्विक क्षेत्रों का

विकास किया जाएगा। सांस्कृतिक-ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का डिजिटल केन्द्र प्रस्तावित है। विश्वस्तरीय हार्ड ट्रेकिंग का निर्माण किया जाएगा, दस हजार गाइडों का कौशल उन्नयन किया जाएगा।

विकासिता भारत मिशन के तहत लघु तथा मध्यम किसानों की मदद हेतु मत्स्य पालन, रघुपालन तथा तटवर्ती किसानों के लिए उच्च मूल्य की कृषि को बढ़ावा देने का प्रयत्न है। पशु चिकित्सकों की उपलब्धता 20,000 से ज्यादा बढ़ाने हेतु निजी क्षेत्र में वेटनरी और पैरा वेट कॉलेज, वेटनरी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब और ब्रीडिंग फैसिलिटी बनाने हेतु लोन-लिंकड कैपिटल सन्सिडी का प्रस्ताव है।

बजट, सबका साथ, सबका विकास के विज़न के अंतर्गत एक विकसित भारत की ओर ले जाएगा। इसके लिए किसानों की इनकम बढ़ाने, वृद्धों की देखभाल तथा इलाज और नए फाइनेंसिंग इंस्ट्रुमेंट्स के जरिए क्लस्टर लेवल फेडरेशन के अंदर कम्युनिटी के रिटेल आउटलेट के तौर पर सेंट्रल-हेल्थ एंटरप्रेन्योर मार्ट बनाए जाएँगे।

सामानों की आसान और तेज आवाजही के लिए कस्टम प्रक्रियाओं में न्यूनतम हस्तक्षेप होगा। टियर 2 और टियर 3 अर्थवर्गइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स के लिए इयूटी टालने की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की जाएगी। यही सुविधा एलिजिबल मैयूफैक्चर-इंस्टॉर्स को भी दी जाएगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एलिजिबल मैयूफैक्चरिंग यूनिट्स द्वारा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में रियायती दरों पर बिक्री को आसान

बनाने के लिए एक विशेष वन-टाइम उपाय का प्रस्ताव है। ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस के तहत कार्गो क्लियरेंस अप्रूवल को वित्तीय वर्ष के अंत तक एक सिंगल और इंटरकनेक्टेड डिजिटल विंडो के माध्यम से आसानी से प्रोसेस किया जाएगा। जिन सामानों के लिए किसी कंलॉयंस की जरूरत नहीं है, उनका क्लियरेंस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही तत्काल किया जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र या खुले समुद्र में भारतीय जहाजों द्वारा पकड़ी गई मछली को कोई इयूटी नहीं लगेगी। व्यक्तिगत उपभोग के लिए आयात किए जाने वाले सभी इयूटी वाले सामानों पर टैरिफ दर 20 फीसद से घटकर 10 फीसद कर दी जाएगी। 17 दवाओं पर बेसिक क्लस्टर से छूट दी जाएगी। सात दुर्लभ बीमारियों को उन दवाओं, मेडिसिन और स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए भोजन, जिनका इस्तेमाल उनके इलाज में होता है, के व्यक्तिगत आयात पर आयात शुल्क से छूट दी जाएगी।

समुद्री उत्पाद, चमड़े और कपड़ा उत्पादों में, निर्यात के लिए शुद्धि खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उपयोग साधनों के शुल्क-मुक्त आयात को सीमा को एक फीसद से बढ़ाकर तीन फीसद किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में, बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल निर्माण में उपयोग के पूंजीगत सामानों की बेसिक सीमा शुल्क छूट को बढ़ाया जाएगा और सौर ग्लास के निर्माण में उपयोग होने वाले सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी सामानों के आयात पर मौजूदा बेसिक सीमा शुल्क में छूट को वर्ष 2035 तक बढ़ाया जाएगा।

केन्द्रीय बजट 2026-27 सामाजिक संवेदना के साथ राजकोषीय अनुशासन के अंतर्गत विकसित भारत की संकल्पना रखते हुए सशक्त तथा पर्यावरण अनुकूल आधारभूत ढांचे की बुनियाद पर विनिर्माण तथा कृषि को प्राथमिकता देता है। तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं के मध्य यह विकसित भारत की ओर मजबूती से बढ़ते भारत का प्रयास है।

ग्राम किवलारी में संत रविदास जयंती मनाई

सोहागपुर। समीपवर्ती ग्राम किवलारी में संत शिरोमणि भक्त रविदास जी महाराज की 149वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में पुष्प अर्पित करके आरती की गई। समाजसेवी गणेश अहिरवार ने संत रविदास जी के संबंध में विस्तार से विचार रखते कहा कि संत रविदास जी ने भेदभाव मिटाने के लिए अधिक प्रयास किया था। तथा उनके स्मरण से गंगा जी प्रसन्न



होकर उनको उनके कटौती में मां कंगन उत्पन्न किया था। वहीं उनका जन्म काशी बनारस में हुआ। उनके वचन ऐसा चाहू राज में मिले सावन को अन्य चोट बड़ी सब सम रविदास रहे प्रसन्न। कार्यक्रम में की उपस्थित वक्ताओं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। अंत में प्रसादी वितरण की गई। इस अवसर पर गणेश अहिरवार, संतोष परमार, अशोक परमार, रमेश अहिरवार, बादामी लाल अहिरवार, काशीराम अहिरवार, सुस्मी लाल अहिरवार, भभूती लाल पर्वत सिंह, हर्ष परमार, रामखलवान, हुकम चंद, विनोद, शुभम परमार, हेमराज अहिरवार, आकाश बन्होरिया, पहलवान बक्शी, नर्मदा प्रसाद अहिरवार, राम गोपाल, ईंदल अहिरवार, छत्रपाल, विजयपाल अहिरवार, खुशीलाल अहिरवार, गजू लाल अहिरवार आदि उपस्थित थे।

श्री शंभू दरबार में बुंदेली कथा वाचक का आगमन



सोहागपुर। श्री शंभू दरबार पलाश परिसर में बुंदेली कथा वाचक महंत श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज का आगमन हुआ। इस अवसर पर श्री विपिन महाराज जी ने अपने सत्संग में गौ सेवा एवं गौ रक्षा की बात कही। वहीं आपने अधिक से अधिक गौ पालन शुरू करने का आह्वान किया। इस अवसर पर गृहस्थ साधक पं प्रकाश मनमोहन जी मुद्गल ने आध्यात्म मंडल एवं श्री शम्भू भक्त मंडल की ओर से महाराज जी का शॉल श्रीफल से स्वागत वंदन किया।

स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चौहान स्मृति

अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के तृतीय दिवस में रायपुर ने शानदार प्रदर्शन करते भोपाल को पराजित किया

सुबह सवेरे सोहागपुर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय ठाकुर प्रतापभानुसिंह चौहान की स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के 61वें वर्ष के तृतीय दिवस की प्रतियोगिता अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी,एसडीओ पुलिस संजु चौहान, तहसीलदार आर के झरबड़े के आतिथ्य में जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय परिसर में संपन्न हुई। प्रथम हाकी प्रतियोगिता रायपुर बनाम भोपाल के मध्य हुआ।, जिसमें रायपुर की टीम ने कलात्मक हाकी का प्रदर्शन करते भोपाल को 4-0 से पराजित किया। भोपाल की टीम कोई भी गोल नहीं कर पाई। द्वितीय मैच में सिक्की छपरा एवं हरदा के बीच हुआ। जिसमें दोनों टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लेकिन दोनों टीम कोई भी गोल नहीं बना पाई। अंत में ट्राई ब्रेकर में 4-5 से सिक्की छपरा ने रोमांचक जीत दर्ज की। तृतीय मुकाबला में मंडीदीप की टीम ने कड़े संघर्ष में ट्राई ब्रेकर में केरला कोच्ची को एक गोल से हराया। आज के चतुर्थ अंतिम मुकाबला में सोहागपुर ने उमरिया को 5-1 हराया। प्रतियोगिता के निर्णायक की भूमिका रवी हरदुआ एवं शिवम सोनोधीया ने निभाई। सोहागपुर की शानदार जीत पर अभिनव पालीवाल एवं प्रशांत जयसवाल ने सोहागपुर टीम को रु. 2100 प्रोत्साहन राशि दी। इस अवसर पर वरिष्ठ वकील शेर खान, भगवान सिंह पटेल, वीरेंद्र शर्मा, रमेश यादव, वकील बीके शर्मा, रूप नारायण शर्मा, हरिहर सिंह राजपूत,महाविद्यालय संचालन समिति के अध्यक्ष कैलाश पालीवाल, कानूनाल अग्रवाल, सचिव हमीर सिंह चंदेल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अभिलाष सिंह चंदेल, हरगोविंद पुराबिया, समिति अध्यक्ष जयराम रघुवंशी, भानुप्रकाश तिवारी, समिति सचिव एवं पत्रकार संघ अध्यक्ष पवनसिंह चौहान, नन्हू विजय खबड़िया एजीपी शंकरलाल मालवीय, अभिषेक चौहान, सौरभ तिवारी, अभिनव पालीवाल, दादराम कुशवाहा, अंकुश जायसवाल, किशोर काका, मनोज गोलानी , अभिषेक अग्रवाल, वकील अख्तर खान आदि उपस्थित थे। इसके पूर्व अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया।

मछली के जाल में फंसा अजगर, सर्पमित्र ने जाल काटकर सुरक्षित किया रेस्क्यू

बैतूल। ग्राम रातामाटी में एक किसान के खेत के पास माचना नदी किनारे मछली पकड़ने के जाल में एक अजगर फंसा हुआ मिला। किसान मदन यादव ने खेत के पास जाल में फंसे अजगर को देखा और इसकी सूचना दी। यह खेत नदी के किनारे है, जहां अक्सर मछुआरे जाल लगाते हैं। जानकारी मिलते ही सर्पमित्र विशाल विश्वकर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि अजगर करीब दो से तीन दिन से जाल में फंसा हुआ था और लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अजगर की लंबाई लगभग सात फीट थी। सर्पमित्र ने सावधानी से लकड़ी की मदद से अजगर के मुंह को काबू में किया और धीरे-धीरे जाल काटा। करीब एक घंटे की मेहनत के बाद अजगर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अच्छे बात यह रही कि जाल में फंसे अजगर का कोई चोट नहीं आई। इसके बाद अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। विशाल विश्वकर्मा ने बताया कि यह भारतीय अजगर प्रजाति है, जो आमतौर पर जंगल, खेत और नदी किनारे पाए जाते हैं। ये सामान्य तौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन परेशान होने पर खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि अजगर की उम्र करीब 15 साल हो सकती है।

दादा गुरुदेव के दरबार में बागेश्वर सरकार, उमड़ा आस्था का सैलाब



● मोहनखेड़ा तीर्थ की पावन धरा पर महाकुंभ सा नजारा

राजेश शर्मा
दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरेश्वर की पावन धरा श्री मोहनखेड़ा तीर्थ सोमवार को ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बनी। धर्म धरा पर हजारों हजार श्रद्धालुओं की उपस्थिति से आस्था का ऐसा सैलाब मानों मोहनखेड़ा तीर्थ की पावन धरा पर महाकुंभ सा नजारा दिखाई दे रहा था। दादा गुरुदेव के दरबार में बागेश्वर सरकार (बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री) की कथा व प्रवचन में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा पड़ा। हर कोई बागेश्वर सरकार की एक झलक पाने के लिए आतुर था। पंडित शास्त्री शाम करीब 4 बजे कथा स्थल पहुंचे। इसके पहले मोहनखेड़ा तीर्थ स्थित भगवान आदिनाथ व दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरेश्वर जी म.सा. के दर्शन वंदन किए। उन्होंने तीर्थ पर स्थित साधु व साध्वियों के

दर्शन भी किए।

श्री मोहनखेड़ा जैन तीर्थ के ट्रस्ट मंडल ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बहुमान किया। पंडित शास्त्री जैसे मंदिर से बाहर पहुंचे वैसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देख बागेश्वर सरकार खुली जीप में सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए कथा स्थल पर पहुंचे। यहां जमकर आतिशबाजी से उनका स्वागत हुआ।

बागेश्वर सरकार ने कहा कि पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है और भक्ति में डूबे रहोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि बाहर से तो संसारी हो जाओ लेकिन मन के भीतर से हमेशा संन्यासी बनकर रहना ताकि जीवन में कठिनाइयों का सामना भी कर सकें। दिल लगाओ तो भगवान से लगाना और दिमाग लगाओ तो काम में लगाओ जिससे आपके कार्य भी आसान हो जाए। पंडित शास्त्री ने सरल शब्द का अर्थ बताते हुए कहा कि हृदय में सरलता रखना जिससे आपके हृदय



के अंदर प्रभु राम, माता सीता व लक्ष्मण तीनों विराजमान हो जाए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में धर्मांतरण ने पैर पसार रखे है लेकिन वह होने नहीं देंगे। क्योंकि हमको गर्व है भारत की परंपरा में हम लोग दिखने में अनेक है लेकिन हम सब हिन्दू एक हैं। जैन समाज के बारे में उन्होंने कहा कि हिन्दू और जैन दोनों एक है। सनातन धर्म से जैन परंपरा अलग नहीं हैं। बागेश्वर सरकार ने कहा कि में पालीताना तीर्थ भी होकर आया हूं जहां जैन धर्म की अटूट आस्था भगवान आदिनाथ पर हैं।

बागेश्वर धाम के पंडित शास्त्री एक घण्टे तक कथा स्थल पर रहे। में मोहनखेड़ा आता जाता रहूंगा। बागेश्वर सरकार ने सरदारपुर के दादा दयालु मंदिर का भी जिक्र किया। मंच पर बागेश्वर धाम के श्री शास्त्री का अभिनंदन रमेश गोवाणी परिवार के द्वारा किया गया। प्रसिद्ध भजन गायक अमित धुर्वे ने भजनों की प्रस्तुतियां दी तथा कार्मिडियन सुनील पाल ने भी लोगों को हंसाया।

बागेश्वर सरकार के साथ मंच पर हनुमान गढ़ी अयोध्या के राजूदास जी महाराज सहित अनेक संत मौजूद रहे। साथ ही सरदारपुर विधायक प्रताप गेवाल भी मंच पर मौजूद रहे।

रामधुन से हुई कथा की शुरुआत – बागेश्वर सरकार की कथा सुनने के लिए अनेक जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मोहनखेड़ा पहुंचे थे। जिनके भोजन की व्यवस्था भी लाभार्थी परिवार द्वारा की गई। जैसे ही बागेश्वर सरकार कथा स्थल पर पहुंचे वैसे ही जयकारों से पांडाल गुंज उठा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने प्रवचन की शुरुआत रामधुन से की जिससे पुरा वातावरण धर्ममय हो गया। अंत में समापन अर्जौ लगवा कर किया गया। कथा स्थल पर कई एल्टाईडी के माध्यम से लोगों ने बागेश्वर सरकार की कथा सुनी। ग्राम पिपरनी के प्रीतम ओर मोहनखेड़ा की खुशी मिश्रा ने बागेश्वर सरकार को स्कैच पेंटिंग भेंट की।

अमृत प्रोजेक्ट के तहत शहर में बनाई जा रही 4 पानी की टंकियां, सितंबर में खत्म हो गई समय सीमा

तीन टंकियों का मंथर गति से चल रहा निर्माण, एक टंकी के लिए जगह ही तय नहीं

एस. द्विवेदी बैतूल।
अमृत योजना के तहत शहर में चार पानी की टैंकियों का निर्माण होना था। जिसमें से तीन टैंकियों का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ, जबकि एक पानी की टंकी के लिए नगरपालिका को अभी तक जगह ही नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि अमृत प्रोजेक्ट के तहत शहर में 4 टैंकियां बनना हैं, लेकिन 4 महीने पहले ही समय सीमा समाप्त होने के बावजूद अभी तक एक भी टंकी का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। दरअसल शहर में जल प्रदाय के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए अमृत प्रोजेक्ट के तहत 4 अतिरिक्त टैंकियां बनाई जाना है। इन टैंकियों का निर्माण 11 करोड़ रुपये की लागत से होना है। बताया जा रहा है कि इस कार्य का जिम्मा गुजरात की कंपनी को सौंपा गया है। कंपनी को यह कार्य 14 सितंबर 2025 तक पूरा करना था। लेकिन चार में से तीन टैंकियों का काम अभी भी अधूरा है। यह बात अलग है कि परिषद ने कंपनी को काम पूरा करने के लिए एक साल का और एक्सटेंशन दिया है। अब कंपनी को यह कार्य 14 सितंबर 2026 तक पूरा करना है। यहां उल्लेखनीय है कि अमृत प्रोजेक्ट के तहत चार टंकी बनना है, जिसमें टिकारी, दुर्गावाड़, राजेन्द्र वार्ड और जयप्रकाश वार्ड में निर्मित की जा रही है, वहीं एक टंकी के लिए अभी तक नगरपालिका जगह की तलाश ही नहीं कर पाई है। जिससे इस टंकी का निर्माण शुरू ही नहीं हो पाया है।

टिकारी में 18.50 लाख लीटर की बन रही टंकी- अमृत प्रोजेक्ट के तहत शहर में चार नई टैंकियों का निर्माण होना था। जिसमें से तीन टैंकियों का निर्माण कार्य चल रहा है। सबसे बड़ी टंकी शहर के टिकारी क्षेत्र में बन रही है। यहां 18.50 लाख लीटर क्षमता की पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जबकि दुर्गा वार्ड में 7.50 लाख लीटर और राजेन्द्र



वार्ड में 12 लाख लीटर पानी संग्रहण क्षमता की टंकी रहेगी। जयप्रकाश वार्ड की टंकी की क्षमता भी 7.50 लीटर रहेगी। टिकारी और दुर्गा वार्ड में टंकी निर्माण काफी पहले शुरू हो चुका है। हालांकि अभी इनका काम पूरा नहीं

एक टंकी के लिए अभी तक नहीं मिल पाई जगह- शहर में तीन टैंकियों का निर्माण तो शुरू हो चुका है, लेकिन एक टंकी के लिए अभी तक नगरपालिका जमीन ही नहीं तलाश सकी है। जिसके लिए नगरवासी नपा के अधिकारियों की सुस्त कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नगर के प्रबुद्धजनों का आरोप है कि प्रोजेक्ट की टाइम लिमिट खत्म होने के बाद 4 महीने भी बीत चुके हैं, इसके बावजूद जयप्रकाश वार्ड में बनने वाली टंकी का स्थान ही फाइनल नहीं हो पाया है। अब बताया जा रहा है कि टंकी के लिए दो-तीन दिन में अधिकारी जगह का निरीक्षण करने जायेंगे। जिसके बाद उपयुक्त जमीन मिलने पर टंकी के लिए जमीन फाइनल करेंगे। फिलहाल जो तीन टैंकियों का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माण की गति भी बेहद धीमी बताई जा रही है।

चार टंकियों के निर्माण के बाद बढ़ जायेगी क्षमता

शहर में पानी की सप्लाई टैंकियों से की जा रही है। शहर में 17400 नल कनेक्शन हैं, वहीं पाइप लाइन का नेटवर्क करीब 190 किलोमीटर है। फिलहाल नगर पालिका द्वारा रोजाना 10 लाख लीटर पानी की सप्लाई करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी शहरवासियों को एक दिन के अंतराल से पानी की सप्लाई की जाती है। बताया जाता है कि नगर पालिका की प्लानिंग नागरिकों को 24 घंटे पानी उपलब्ध करने की है। इसके लिए वाटर सप्लाई नेटवर्क की क्षमता में बढ़ोतरी किया जाना जरूरी है। वर्तमान में जो क्षमता है, उससे 24 घंटे पानी सप्लाई करना संभव ही नहीं है। यही कारण है कि यह 4 नई टैंकियां शहर में बनाई जा रही हैं। इन टैंकियों के निर्माण के बाद वाटर सप्लाई नेटवर्क की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। जिससे लोगों को संभवतः 24 घंटे पानी की आपूर्ति की जा सकेगी।

टंकियां भरने अतिरिक्त पानी की आवश्यकता

शहर में अमृत योजना के तहत पानी की टैंकियों का निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन इन टैंकियों को भरने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। ऐसे में लोगों का कहना है कि बेहतर होता कि नगर पालिका पहले पानी का स्रोत तलाश कर उसकी व्यवस्था करती और वह निश्चित हो जाने पर टंकी का निर्माण शुरू करती। लेकिन नपा बिना किसी ठोस प्लानिंग के काम करा रही है। शहर के कोठीबाजार क्षेत्र में ज्योति टॉकीज के सामने बनाई गई एक टंकी साल भर बाद में भी उपयोग में नहीं आ सकी है। इस टंकी को बने हुए करीब एक साल हो चुका है। इसके बावजूद इस टंकी को न तो कनेक्ट किया गया है और न ही एक बार भी इसे भरा गया है। लोगों का आरोप है कि नपा किसी ठोस प्लानिंग के ही कार्य शुरू कर देती है। जिसका नतीजा यह होता है कि पैसे खर्च होने के बाद भी लोगों का उसका लाभ नहीं मिल पाता है।

इनका कहना है

परिषद द्वारा तीन पानी टैंकियों के निर्माण के लिए कंपनी को एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है। चूंकि निर्माण कंपनी को वर्कआर्डर लेट मिला था और सारी चीजों में देरी हुई थी। इसलिए अवधि बढ़ा दी है। वहीं चौथी पानी की टंकी के लिए एक-दो दिन में जगह का चयन करने निरीक्षण किया जायेगा। यदि जमीन उपयुक्त पाई जाती है तो आगे की कार्रवाही कर टंकी निर्माण शुरू करवाया जायेगा।

– **सतीश मटसनिया,** सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

वृंदावन से आज लौटेंगी फूलवती मैया, स्टेशन पर होगा भव्य स्वागत

बालाजीपुरम की पहल पर बेटा लेने गया था वृंदावन

बैतूल। जिले के आमला की वृद्ध माता फूलवती आखिर अपने घर वापस आ रही हैं। बालाजीपुरम की पहल पर बेटा अपनी मां को लेने वृंदावन पहुंचा और अब आज मंगलवार को उनकी वापसी है। गौरतलब है कि आमला के बांगा गांव की निवासी फूलवती यदुवंशी अपने दोनों बेटे झाड़ूराम और दिनेश से नाराज होकर बिना बताए वृंदावन स्थित अनिरुद्धाचार्य जी के गौरी गोपाल आश्रम पहुंच गई थीं। यहां प्रसिद्ध कथाकार अनिरुद्धाचार्य जी से उनकी बातचीत का वीडियो काफी वायरल हुआ और बैतूल का नाम आने से बैतूल को शर्मसार होना पड़ा। लेकिन किसी भी जिम्मेदार ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। तब भारत के पांचवें धाम श्री रूक्मणि बालाजी मंदिर बालाजीपुरम बैतूल के संस्थापक सेम वर्मा आगे आए और उन्होंने फूलवती मैया के घर-परिवार का पता कर बेटों को बुलाया। छोटे बेटे दिनेश ने तो मां से मिलने से इंकार कर दिया, लेकिन बड़े बेटे झाड़ूराम ने सेम वर्मा की समझाइश से मां को वृंदावन से लाने और अच्छे से रखने की सहमति दी। इसके बाद टीम बालाजीपुरम समाजसेवी सुनील द्विवेदी के साथ वृंदावन



पहुंची और यहां मां-बेटे का मिलन हुआ। अनिरुद्धाचार्य जी ने भी बालाजीपुरम की पहल की सराहना की और मां-बेटे को धूमधाम से रवाना किया। अब आज 3 फरवरी मंगलवार को दोपहर डेढ़ बजे दक्षिण एक्सप्रेस से मां-बेटा बैतूल स्टेशन के प्लेटफार्म एक पर उतरेंगे। जहां बालाजीपुरम की पूरी टीम के साथ शहर के सभी गणमान्य गाजे-बाजे के साथ स्वागत करेंगे। इसके बाद सभी बालाजीपुरम पहुंचेंगे जहां भगवान बालाजी की आरती और धन्यवाद के बाद मां-बेटे ग्राम बांगा रवाना होंगे।

आरडीपीएस में वार्षिक खेल महोत्सव आयोजित

खेल शारीरिक दक्षता के साथ नेतृत्व क्षमता, टीम भावना विकसित करते हैं: एसपी

बैतूल। उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान आरडी पब्लिक स्कूल बैतूल में डायरेक्टर श्रीमती ऋतु खण्डेलवाल के मार्गदर्शन में आयोजित दो दिवसीय खेल महोत्सव में विद्यार्थियों ने अनुशासन और खेल भावना से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 31 जनवरी को खेल महोत्सव का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन एवं प्राचार्य ने किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए एस.पी. श्री जैन ने कहा कि खेल से शारीरिक दक्षता के साथ ही जीवन के महत्वपूर्ण



कौशल अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का भी विकास होता है। उन्होंने बच्चों के साथ अपनी खेलों के प्रति अभिरुचि भी साझा की। आरडी पब्लिक स्कूल बैतूल में आयोजित खेल महोत्सव के पहले दिन 31 जनवरी को ऊंची कूद, लंबी कूद, खो-खो, रस्साकशी, 100 मीटर -200 मीटर दौड़, बोरी दौड़, साइकिल रেস सहित 11 खेल प्रतियोगिताओं में 1600 विद्यार्थियों ने सहभागिता कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दूसरे दिन 1 फरवरी को फायनल मुकाबले हुए। खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पंवार, तहसीलदार पूनम साहू, एसडीओ फारेस्ट अमित खन्ना, टीआई. देवकरण डेहरिया, रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉ. अशोक बारांग एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉ. मयंक भार्गव ने विजता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र एवं पदक वितरित कर पुरस्कृत किया।

